न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : अशोक कुमार ,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 97 / 2019

जी.सी.एम.एस.संख्या :– 2019 / 00136

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1.समन्दरसिंह पुत्र नरपतसिंह 2.तेजसिंह पुत्र नरपतसिंह जाति राजपूत निवासी मोडाऊ बुड़ीवाड़ा तहसील पचपदरा जिला बालोतरा		1.तेजाराम पुत्र उकाराम जाति वणाक सुथार निवासी मोडाऊ बुडीवाड़ा तहसील पचपदरा जिला बालोतरा 2.घरमा पुत्र सवा जाति कलबी चौधरी निवासी मोडाऊ बुड़ीवाड़ा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा 3.देवा पुत्र सवा जाति कलबी चौधरी निवासी मोडाऊ बुडीवाड़ा तहसील पचपदरा जिला बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 क, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1.श्री देवीसिंह महेचा अधिवक्ता प्रार्थीगण

2.श्री लाघूराम चौधरी अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 1

3.विप्रार्थी संख्या 2 व 3 एकपक्षीय

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बालोतरा

राजस्व आवेदन संख्या :– 242 / 2021

जी.सी.एम.एस.संख्या :– 2021 / 390

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1.डूगरा पुत्र झका 2.देवी पत्नि डूंगरा जाति वजीर निवासी जागसा तहसील पचपदरा जिला बालोतरा		1.समन्दरसिंह पुत्र नरपतसिंह 2.तेजसिंह पुत्र नरपतसिंह जाति राजपूत निवासी मोडाऊ बुड़ीवाड़ा तहसील पचपदरा जिला बालोतरा 3.लेखाराम पुत्र पतिया 4.चम्पालाल पुत्र पतिया 5.मुकेश पुत्र पतिया 6.गीगी बेवा पतिया जाति भाम्बी निवासी मोडाऊ बुडीवाड़ा तहसील पचपदरा जिला बालोतरा 7.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 क, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1.श्री लाघूराम चौधरी देवीसिंह महेचा अधिवक्ता प्रार्थीगण

2.श्री देवीसिंह महेचा अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 1 व 2

3.श्री करणसिंह सोलंकी अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 0 3 से 06 अनुपस्थित।

4.विप्रार्थी संख्या 07 अनुपस्थित।

:आदेश :

दिनांक– 31.07.2025

1. राजस्व आवेदन संख्या 97/2019 अनवान समुन्द्रसिंह बनाम तेजाराम वगैरा व राजस्व आवेदन संख्या 242/2021 अनवान डूंगरा बनाम समुन्द्रसिंह वगैरा दोनो प्रकरणो की प्रकृति व विषय–वस्तु एक समानान्तर होने के कारण दोनो प्रकरणो का एक साथ निस्तारण किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली मे नत्थी की जावे।

2. प्रकरण का संक्षिप्त में सारवान तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण 1.समन्दरसिंह पुत्र नरपतसिंह 2.तेजसिंह पुत्र नरपतसिंह जाति राजपूत निवासी मोडाऊ बुड़ीवाड़ा तहसील–पचपदरा व जिला बालोतरा ने अपने खातेदारी भूमि खसरा संख्या 499 मौजा मोडाऊ तहसील पचपदरा में कृषि कार्य हेतु आवागमन के लिए विप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 503 व विप्रार्थी संख्या 2 व 3 की खातेदारी खसरा संख्या 502 में से परिशिष्ट अ में दर्शित मार्क ए से बी बरंग लाल 20 फीट चौड़ा रास्ता कायम करने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया हैं तथा संलग्न नक्शानुसार रास्ता नजदीक सरल एवं एकमात्र विकल्प होने के कारण प्रार्थीगण के खातेदारी जोत तक कृषि कार्य आवागमन हेतु उक्तानुसार सार्वजनिक रास्ता घोषित करने का निवेदन किया हैं तथा प्रार्थीगण 1.डूगरा पुत्र झका 2.देवी पत्नि डूंगरा जाति वजीर निवासी जागसा तहसील पचपदरा ने अपने खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1450/601 ग्राम जागसा तहसील पचपदरा में कृषि कार्य हेतु आवागमन के लिए विप्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 499 व 500 में से परिशिष्ट अ में दर्शित मार्क ए से बी बरंग पीला 15 फीट चौड़ा रास्ता कायम करने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया हैं तथा संलग्न नक्शानुसार रास्ता नजदीक सरल एवं एकमात्र विकल्प होने के कारण प्रार्थीगण के खातेदारी जोत तक कृषि कार्य आवागमन हेतु उक्तानुसार सार्वजनिक रास्ता घोषित करने का निवेदन किया है।

3. प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी के रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी की ओर से वकालतनामा पेश कर जवाब पेश किया गया। तहसीलदार पचपदरा ने निर्धारित प्रारूप में मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की,जो शामिल मिसल है।

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

4. तत्पश्चात् प्रकरण में उभय–पक्षकारान अधिवक्तो की बहस सुनी गई। विद्वान प्रार्थीगण अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण के आवेदन–पत्र के संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट 'अ' में दर्शित मार्क ए से बी तक यानि विप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 503 में से 20 फीट बंरग लाल चौड़ा रास्ता आवागमन एवं कृषि उपयोग हेतु रास्ता घोषित किया जावें। उक्त रास्ता नजदीक सरल एवं सुगम रास्ता हैं,प्रार्थीगण के पास आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता विधमान नहीं है। विप्रार्थी डूंगरा वगैरा द्वारा प्रार्थीगण को परेशान करने की नियत से गलत तथ्यो के आधार पर आवेदन पेश किया गया है,जिसमे सफलता मिलने की संभावना नही है। अंत में निवेदन किया कि तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण समुन्द्रसिंह वगैरा का प्रकरण स्वीकार किया जाकर रास्ता स्वीकृत किया जाता है,तो प्रार्थीगण को आपति नहीं है। प्रार्थीगण प्रस्तावित रास्ता की स्वीकृति के वदले क्षतिपूर्ति राशि जमा करवानें के लिए सहमत है।

5. इसके विपरीत विप्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण समुन्द्रसिंह वगैरा की ओर से आवेदन पत्र मनगढन्त तथ्यो के आधार पर पेश किया गया है,जिसमें सफलता मिलने की रति भर भी गुजाईश नहीं है। क्योंकि विप्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 503 मे से रास्ता चल ही नही रहा है,केवलमात्र विप्रार्थी को परेशान करने की नियत से ही आवेदन पत्र पेश किया गया है। क्योंकि प्रार्थीगण समुन्द्रसिंह वगैरा रास्ता का उपयोग खसरा संख्या 500 मे से ही किया जा रहा है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर निवेदन किया कि डूंगरा वगैरा द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाकर रास्ता स्वीकृत किया जावे।

6. हमनें उभयपक्ष अधिवक्तो की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं मौका जांच रिपोर्ट का गहनतापूर्वक अवलोकन किया तथा सुसंगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। जिसमें पाया कि प्रार्थीगण समुन्द्रसिंह वगैरा की खातेदारी खसरा संख्या 499 के लिए विप्रार्थी की खातेदारी खसरा संख्या 503 व 502 में से बरंग लाल में दर्शित रास्ता प्रस्तावित किया गया है तथा विप्रार्थी डूंगरा वगैरा अपनी खातेदारी खसरा संख्या 1450/601 के लिए विप्रार्थी की खातेदारी खसरा संख्या 499 व 500 में से बरंग पीले मे दर्शित रास्ता प्रस्तावित किया गया है। प्रार्थीगण समुन्द्रसिंह व डूंगरा द्वारा प्रस्तावित रास्ता को स्वीकृत करने का अनुतोष चाहा गया है,जिसे साबित करने का भार प्रार्थी व विप्रार्थी पक्ष पर है।

7. हस्तगत प्रकरण के विचारण एवं निर्णयन हेतु हम धारा 251–क,राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में संक्षिप्त जांच के संबध में वर्णित प्रावधान का उल्लेख करना आवश्यक समझतें है,जिसके अनुसारः–

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

i. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं हैं; और

ii. अन्य खातेदार की जोत में से होकर,विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में,पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है–

तो आदेश द्वारा,आवेदक को,अभिधारी,जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है,दर्शाया जाये,भूमि में से होकर,और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए,उस अभिधारी को,जो उस भूमि को धारित करता है,जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विधमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजुर किया जाये,ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये,अनुज्ञात कर सकेगा।

उक्त वर्णित प्रावधान से स्पष्ट है,कि प्रार्थीगण द्वारा आवेदित रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता हो तथा वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध होने पर नया रास्ता बनाने हेतु अनुज्ञात किया जा सकेगा।

8 चूंकि प्रार्थीगण समुन्द्रसिंह द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण की खातेदारी खेत खसरा संख्या 499 में आवागमन हेंतु राजस्व रेकर्ड एवं मौके पर कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है एवं विप्रार्थी डूगरा वगैरा द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार डूंगरा वगैरा की खातेदारी खेत खसरा संख्या 1450/601 में आवागमन हेंतु राजस्व रेकर्ड एवं मौके पर कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है,अतः उक्त वर्णित धारा 251–क प्रावधानानुसार प्रार्थी समुन्द्रसिंह व डूंगरा वगैरा को आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता प्रमाणित होती है तथा आवागमन हेतु वैकल्पिक साधन के अभाव भी प्रार्थी द्वारा सिद्ध किया गया हैं। विवादित आराजी के संबध मे मौका जांच चार बार हो रखी है तथा प्रस्तावित रास्ता ही अंतिम विकल्प बताया गया है,इसके अतिरिक्त तहसीलदार पचपदरा द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ता स्वीकृत किए जाने की अनुशंषा की गई है। उक्त विवेचन के आधार पर विप्रार्थी तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में दर्शित ए से एफ अनुसार रास्ता उपयुक्त एवं व्यावहारिक प्रतीत होता हैं। उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है कि प्रार्थीगण का आवेदन–पत्र स्वीकार योग्य है। ऐसी सूरत मे प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

9 उक्त वर्णित प्रावधानों के अनुसरण में तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तावित रास्ता खसरा संख्या 503 मे से दर्शित ए से बी दर्शित रकबा 11 बिस्वा 10 बिस्वासी एवं

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

खसरा संख्या 503 मे बी से सी 06 बिस्वा,सी से डी 05 बिस्वा 04 बिस्वासी,खसरा संख्या 1085/498 मे से डी से ई 10 बिस्वासी एवं खसरा संख्या 499 मे से ई से एफ में दर्शित रकबा 13 बिस्वा 10 बिस्वासी 15 फीट चौड़ाई के आधार पर रास्ते हेतु भूमि की सार्वजनिक रास्ता हेतु डी.एल.सी. दर की प्रति बीघा की दुगूनी प्रतिकर राशि दिए जाने के प्रावधान है। जिसको प्रार्थी राजकोष के निर्धारित शीर्ष में जमा करवाने हेतु सहमत है,अतः हम प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र वांछित अनुतोष अनुरूप स्वीकार करना उचित एवं न्यायसंगत समझते हैं।

आदेश :–

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है,तथा ग्राम मोडाऊ तहसील पचपदरा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 499 में पहुंच हेतु खसरा संख्या 503 में से संलग्न नक्शानुसार मार्क ए से बी अनुसार रकबा 11 बिस्वा 10 बिस्वासी व 15 फीट चौड़ाई एवं प्रार्थी डूंगरा की खातेदारी खसरा संख्या 1450/601 में पंहुच हेतु खसरा संख्या 503 मे से दर्शित बी से सी रकबा 06 बिस्वा,सी से डी 05 बिस्वा 04 बिस्वासी,खसरा संख्या 1085/498 मे से डी से ई 10 बिस्वासी एवं खसरा संख्या 499 मे से ई से एफ में दर्शित रकबा 13 बिस्वा 10 बिस्वासी व 15 फीट चौड़ाई भूमि सार्वजनिक रास्ते के रूप में उपयोग हेतु अनुज्ञात की जाती है। तहसीलदार पचपदरा को निर्देश प्रदान किये जाते है कि उक्त वर्णित भूमि का प्रतिकर राशि की अपनी स्तर पर गणना करते हुए कुल देय राशि की दुगुनी राशि प्रभावित पक्षकारान को नियमानुसार भुगतान किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में अंकन करे तथा मौके पर उक्त घोषित सार्वजनिक रास्ते का सीमाज्ञान किया जाकर प्रार्थी को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें तथा पालना रिपोर्ट न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें। अप्रार्थी प्रतिकर राशि नहीं लिए जाने की दशा में निर्धारित मयाद बाद राजकोष में नियमानुसार प्रतिकर राशि जमा करवाई जानी सुनिश्चित करावें। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर लेख्य भंडार हो।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बालोतरा

(अशोक कुमार) 31/07/25
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 31/07/25 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी 31/07/25
बालोतरा